राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 251/2004

1. श्रीमती परता बेवाह भातिया (मृतक)
2. गुरूदयाल पुत्र भातिया
3. मनोहर पुत्र भातिया
4. शीशराम पुत्र भातिया, जाति गुर्जर, निवासी दूधवा नांगलिया तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

.... वादीगण

ब–ना–म

1. फूलाराम पुत्र श्री झुथा हिस्सा 1/9
2. भगवाना पुत्र भूरा हिस्सा 1/9
3. ग्यारसा पुत्र भूरा
4. हनुमान पुत्र भूरा
5. राजवीर पुत्र श्री रामेश्वर हिस्सा 1/18
6. सुखवीर पुत्र श्री रामेश्वर
7. सत्यवीर पुत्र श्री रामेश्वर
8. इन्द्राज सिंह पुत्र श्री बीरबल हिस्सा 1/18
9. बंशी पुत्र कालू हिस्सा 1/6
10. शेखावाटी ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर शेखावाटी ग्रामीण बैंक, शिमला
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक व खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक 08–09–2020**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–06–2009 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि ग्राम दूधवा नांगलिया स्थित खाता सं. 242 के खसरा नं. 668 रकबा 0.91 है., 711 रकबा 0.77 है., 714 रकबा 0.64 है., 716 रकबा 0.70 है., 717 रकबा 0.51 है., 719 रकबा 0.49 है., 1111 रकबा 0.23 है., 1157 रकबा 0.06 है. 1164 रकबा 0.16 है., 1213 रकबा 0.32 है., 1214 रकबा 0.13 है., 1215 रकबा 0.13 है., 1216 रकबा 0.14 है., 1221 रकबा 0.29 है., 1222 रकबा 0.29 है., 1223 रकबा 0.49 है., 1228 रकबा 0.45 है., 1238 रकबा 0.27 है., एवं ख.नं. 1246 रकबा 0.23 है. किता 20 कुल रकबा 7.5800 है. भूमि में वादीगण का 1/3 भाग का राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अ./19/650 दिनांक 09–04–2019 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2019 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2019 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 2' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2019 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 2' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2019 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09–04–2019 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner